न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 104 / 2018

उनवान

1. गंगाराम पिता प्रताप तेली निवासी माधुपुरा पटवार हल्का जोधडास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. गोपी पिता प्रताप तेली निवासी माधुपुरा पटवार हल्का जोधडास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. छोगा पिता प्रताप तेली निवासी माधुपुरा पटवार हल्का जोधडास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
4. दौला पिता प्रताप तेली निवासी माधुपुरा पटवार हल्का जोधडास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
5. लुम्बा पिता प्रताप तेली निवासी माधुपुरा पटवार हल्का जोधडास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आसीन्द, जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 289 / 2016 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.6..2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री मुनीर गनी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण / वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जोधडास पटवार हल्का जोधडास

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की सरहद में साबिक खाता संख्या 32/7 प्रताप वल्द कालु तेली के नाम से आराजी नम्बर 1243 रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 1244 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 1246 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 1247 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 1248 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 1249 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 1250 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 1251 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 1254 रकबा 08 बिस्वा, कुल किता 09 कुल रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा लगानी 26 रूपया पांच आना से जानी जाती है। जमाबंदी संवत 2015 से 2018 में खाता संख्या 380/9 में आराजी नम्बर 1243 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 1248 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 1249 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, कुल किता 3 कुल रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा लगानी 4 रूपये 40 पैसे से जानी जाती है। जो 2019 से 2022 में जो खाता के आराजी नम्बर 1243, 1248, 1249 हाल नम्बर 1973 रकबा 1.05 है0 कायम किये व आराजी नम्बर 1243 के नये नम्बर सेटलमेण्ट विभाग ने कायम नहीं किये व 7 बीघा 09 बिस्वा को 1242 नम्बर के साथ मिलाकर 2113/1961 रकबा 1.54 है0 व 2126/1959 रकबा 0.56 है0, पैटा बिलानाम सरकार व साबिक आराजी नम्बर 1241 मीन रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा का नया नम्बर 1960 रकबा 0.10 है0 कायम किया गया जो पुराना रकबे के मुकाबले नया रकबा कम कायम किया इस प्रकार साबिक आराजी नम्बर 1243 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, का नया नम्बर कायम नहीं कर साबिक आराजी नम्बर 1241 मीन में मिला दिया । इस आधार पर वादीगण का 11 बीघा 10 बिस्वा का नया रकबा 1973 व इसके अलावा 2173/1961 व 1960 में मिला दिया जिसकी इन्द्राज दुरूस्ती करके वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उक्त जायदाद को बिना कोई आधार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के खातेदारी से बिलानाम सरकार दर्ज कर दी । जिस पर वादीगण का कब्जा पीढी दर पीढी चला आ रहा है। मौके पर कुए से फसल काश्त होती है। और प्रताप तेली की मृत्यु हो गई और पूर्व खातेदार कालू के दो लडके थे जिनका सजरा निम्न है :—

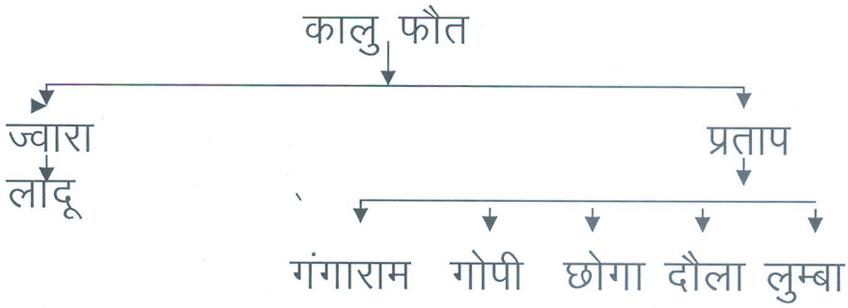

2. गत वर्ष फसल खराबा की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई तब वादीगण के नाम अपने पिता की जायदाद का मुआवजा नहीं आने पर पता किया तो पता चला कि उक्त खातेदारी भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई । बिना कोई राज्य आदेश, न्यायालय की डिक्री के राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन किया गया है। इस तथ्य की जानकारी होने पर तहसील कार्यालय से रिकोर्ड प्राप्त कर वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी जो कि बिलानाम सरकार खाता संख्या 01 में से 2.47 है0 भूमि वादीगण के नाम मय खातेदारी की घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती मय लगान की तस्सरी डिक्री प्रदान की जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलान्टगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद विधिक प्रक्रिया अपनाये तनकियात कायम किये व साक्ष्य लिये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय के आपके द्वार 2017 से कैम्प कोर्ट ईरास तहसील आसीन्द मुकाम पर वाद बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित कर दिया । अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो पाई । जानकारी होने पर अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया । नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत की । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी / वादी का वाद पत्र बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया है। जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन प्रकरण मे प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत भी नहीं किया गया । जबकि प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पत्रावली पर लिये जाने के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय को तनकियात कायम कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करना चाहिये था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प कोर्ट ईरास, तहसील आसीन्द में रखकर निर्णय पारित कर दिया । अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करना चाहिये था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारितकरने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जावे।

8. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया । साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किया जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

10. अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा वाद पत्र 14.12.2016 को पंजिबद्ध किया गया एंव प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.4.2017 नियत की गई। दिनांक 27.4.2017 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गई । उसके उपरान्त सीधे ही पत्रावली को दिनांक 19.6.2017 को लोक अदालत कोर्ट केम्प मुख्यालय ईरास तहसील आसीन्द पर रखा गया । अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. दिनांक 19.6.2017 को आदेशिका में पक्षकारान ''उपस्थित/अनु.'' अंकित किया गया है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि पक्षकारान उपस्थित थे अथवा अनुपस्थित थे। प्रतिवादी को जारी नोटिस की बाद तामील प्रति अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अहकाम से स्पष्ट है कि दिनांक 2.6.2017 को प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा शामिल पत्रावली किये जाने का अंकन किया जाकर हस्ताक्षर किये गये है। वाद पत्र 14.12.2016 को पंजिबद्ध किया गया एंव प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.4. 2017 नियत की गई। दिनांक 27.4.2017 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गई । उसके उपरान्त सीधे ही पत्रावली को दिनांक 19.6.2017 को प्रकरण को लोक अदालत कोर्ट केम्प मुख्यालय ईरास तहसील आसीन्द पर रखे जाने बाबत उभयपक्ष को किसी प्रकार का सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है। जबकि नियत तारीख को अहकाम नहीं लिखा जाकर स्वतः ही प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने से पूर्व उभयपक्ष को सूचना पत्र जारी कर उन्हें नियत तारीख को लोक अदालत कैम्प में प्रकरण को रखे जाने बाबत सूचित किया जाना आवश्यक था। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई सूचना/नोटिस संलग्न नहीं है। अतः निर्णय दिनांक को प्रार्थीगण की उपस्थिति सुनिश्चित करने बाबत कोई प्रयास नहीं किया जाकर एकपक्षीय कार्यवाही किया जाना प्रकट होता है।

12. प्रतिवादी की ओर से जो जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है उसकी प्रति वादीगण को उपलब्ध नहीं कराई गई है। जबकि विधि अनुसार जवाब दावा आने पर उसकी प्रति वादीगण को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। उपलब्ध जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम किये जाने के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उपरान्त उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज, रिकार्ड के आधार पर तनकीवाईज गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित किया जाना चाहिये । मूल वाद में उभयपक्ष के हक हितों का बाद साक्ष्य सुनवाई अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। नैसर्गिक न्याय की पालना के सिद्धान्त की पालना मे अपीलार्थीगण/वादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है एवं विधि अनुसार प्रक्रिया का पालन नहीं कर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नही आता है। अतः अपीलाधीन निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

13. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.6.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम की जावे एवं उसके उपरान्त उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के आधार पर गुणावगुण पर तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 7-11-19 को उपस्थित रहें।

14. निर्णय आज दिनांक 27.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा